रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926
No. 259] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2004

सा.का.नि. 370(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समुचित आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच संचालित करने की प्रक्रिया नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत हैं,

(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ग) "रजिस्ट्रार" से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **जांच संचालित करने की प्रक्रिया**—(1) समुचित सरकार, अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में, अपील अधिकरण के अध्यक्ष को ऐसी जांच संचालित करने के प्रयोजन के लिए आरोपों के अभ्यारोपण और अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निर्देश देगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण का अध्यक्ष नोटिस में विनिर्दिष्ट समय और तारीख को उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए संबद्ध सदस्य को एक नोटिस जारी करेगा।

(3) सदस्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की एक प्रति नोटिस के साथ-साथ दी जाएगी।

(4) अपील अधिकरण का अध्यक्ष, सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ अधिकरण की सहायता ले सकेगा;

(5) इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए अपील अधिकरण का अध्यक्ष, ऐसे साक्षियों या अभिलेखों को मंगा सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(6) सदस्य का अभिमत की सुनवाई के पश्चात् अध्यक्ष अपने निष्कर्ष को समुचित सरकार को भेजेगा।

[फा. सं. 23/61/2003-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2004

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules for regulating the procedure for conducting an inquiry against a Member of the Appropriate Commission, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the procedure for conducting Inquiry against a Member of Appropriate Commission Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Section" means section of the Act;

(c) "Registrar" means Registrar of the Appellate Tribunal.

(2) Words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure for conducting inquiry.**—(1) The Appropriate Government shall make a reference alongwith imputation of charges and other relevant information for the purpose of conducting such inquiry to the Chairperson of the Appellate Tribunal in pursuance of the provisions of Sub-section (2) of Section 90 of the Act.

(2) On receipt of a reference under sub-rule (1) Chairperson of the Appellate Tribunal shall issue a notice to the Member concerned to appear before him on the time and date specified in the notice.

(3) A copy of the charges preferred against the Member shall be supplied along with the notice.

(4) The Chairmperson of the Appellate Tribunal may seek assistance of an expert or expert agency for investigating into the charges against the Member.

(5) For the purposes of discharging his functions under these rules, the Chairperson of the Appellate Tribunal may summon such witnesses or records as he may consider necessary.

(6) After hearing the views of the Member, Chairperson shall forward his findings to the Appropriate Government.

[F. No. 23/61/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

indiacode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.